भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2434

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि

2434. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में मादक पदार्थों के सेवन, विशेषकर हेरोइन की लत में खतरनाक वृद्धि नोट की है और यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या वर्तमान केंद्रों में रोगियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या योजना बनाई गई है;

(ग) विगत वर्ष नशे की लत से छुटकारा पाने वाले, पुनर्वासित या उपचारित लोगों की संख्या के आंकड़े सहित जम्मू और कश्मीर में 'नशा मुक्त भारत अभियान' की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पाकिस्तान से कथित रूप से हो रही मादक पदार्थों की तस्करी के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कोई सहयोगात्मक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2018 में इस मंत्रालय द्वारा एनडीडीटीसी, एम्स के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं की मात्रा और पैटर्न पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू और कश्मीर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विवरण इस प्रकार हैं:-

जम्मू और कश्मीर	**आयु (18-75)**	
शराब	सेवन की व्यापकता (%)	सेवन करने वालों की अनुमानित की संख्या
	4	3,54,000
भांग	1.54	1,36,000
ओपिओइड्स	5.05	4,47,000
सुखदायक औषधियाँ	1.71	1,51,000
इनहेलेंट्स	1.01	89,000

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ड्रग्स की मांग में कमी करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह एक व्यापक योजना है जिसके तहत (i) नशामुक्त व्यक्तियों के लिए निवारक शिक्षा एवं जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजीविका हेतु सहायता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ड्रग्स की मांग में कमी करने संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तथा (ii) नशे के आदी व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), किशोरों में कम उम्र में नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशनों (सीपीएलआई), आउटरीच तथा ड्रॉप-इन केन्द्रों (ओडीआईसी), जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) के संचालन एवं रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ को तथा (iii) सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति उपचार सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एनएपीडीडीआर योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में 98 लाख से अधिक लोगों तक

पहुंच बनाई गई है, जिसमें 8 लाख से अधिक युवा और 9 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

ii. यह विभाग संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में 01 आईआरसीए, 03 ओडीआईसी, 02 सीपीएलआई, 05 डीडीएसी और 20 एटीएफ को सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 31 हजार से अधिक लोगों का नशा मुक्ति के लिए इलाज किया गया है।

iii. इस विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए सहायता मांगने वाले व्यक्तियों के लिए प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफेरल सेवाएं प्रदान करने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन 14446 चलाई जा रही है। अब तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से 11 हजार से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख): एनएपीडीडीआर योजना के दिशानिर्देशों के तहत ऐसे गैप जिलों में डीडीएसी (जिला नशा मुक्ति केंद्र) स्थापित करने का प्रावधान है, जहां विभाग द्वारा समर्थित नशा मुक्ति केंद्रों की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा, एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में एटीएफ (नशामुक्ति उपचार फैकल्टी) स्थापित की जा रही हैं।

(ग): विभाग ने सबसे संवेदनशील 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया, जिसका अब संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर देश के सभी जिलों सहित देश भर के सभी जिलों तक विस्तार दिया गया है।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में 98 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है, जिसमें 8 लाख से अधिक युवा और 9 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

यह विभाग संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में 01 आईआरसीए, 03 ओडीआईसी, 02 सीपीएलआई, 05 डीडीएसी और 20 एटीएफ को सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 31 हजार से अधिक लोगों का नशा मुक्ति के लिए इलाज किया गया है।

(घ): नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए सहयोगात्मक उपाय इस प्रकार हैं:-

i. भारत के एनसीबी और पाकिस्तान के एएनएफ के बीच नशीली दवाओं की मांग में कमी और नशीली दवाओं, मनोक्रियात्मक पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम और संबंधित मामलों पर दिनांक 13.09.2011 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

ii. एनसीबी इंडिया निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान से नशीली दवाओं की बढ़ती हुई तस्करी के मुद्दे पर भी चर्चा करता है:

क. शंघाई सहयोग संगठन, नशीली दवाओं के विरुद्ध सहयोग

ख. सार्क नशीली दवाओं से संबंधित अपराध निगरानी डेस्क

****